

#02

# नकाबपोश मुजरिम





एक दिन अचानक अंजू के फोन पर एक मैसेज आया जिस में एक लिंक था। अंजू ने लिंक पर क्लिक किया तो उनके होश ही उड़ गए, लिंक में उन्होंने अपनी एक आपत्तिजनक फोटो देखी!



जब तक वो कुछ समझ पाती उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है



“अगर तुम चाहती हो यह फोटो कहीं लीक ना हो तो एक पता भेजूंगा उस पते पर 10,000 रुपये भेज देना, अगर पुलिस को बताने की कोशिश की तो यह तस्वीर पूरी दुनिया देखेगी!!!”

दोबारा तस्वीर देखने के बाद अंजू को एहसास होता है की यह तस्वीर किसी और महिला की है और तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करके उसमें अंजू का चेहरा लगा दिया गया है। पति के घर आते ही अंजू सारी बात विस्तार से बताती है।



कहीं ब्लैकमेलर ने यह फोटो लीक कर दी तो मैं क्या करूँगी? सब मुझे ही गलत समझेंगे, लेकिन अगर हमने एक बार पैसे दिए और वो बार बार पैसे मांगने लगे तो?

हाँ तुम ठीक कह रही हो यह हमसे पैसे लूटने की चाल भी हो सकती है? हमें किसी से सलाह लेनी चाहिए!





सीएससी केंद्र पहुंच कर अपनी परेशानी बताने के बाद






टेली-लॉ भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत भारत के नागरिक वकील से निःशुल्क कानूनी सलाह प्राप्त कर सकते हैं।



केस रजिस्ट्रेशन के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वकील से बात करते हुए



आप बिल्कुल डरिये मत आपने कोई गलत काम नहीं किया है! क्या आपने कोई तस्वीर या अपना फोन किसी को दिया था?







मैं आपको यह सलाह दूंगा की आप बिना डरे नजदीकी पुलिस स्टेशन या नजदीकी साइबर सेल या ऑनलाइन साइबर सेल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकती है!



कुछ दिनों बाद अंजू ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा कर उस ब्लैकमेलर को जेल भिजवा दिया।



इंसाफ पाने के बाद अंजू अपने पति के साथ बिना भय के खुशहाल जीवन व्यतीत करते हुए





टेली-लॉ सर्विस के द्वारा मुझे वकील के माध्यम से निःशुल्क सलाह प्राप्त हुई और मैंने उसी सलाह के आधार पर आगे निडर होकर कदम उठाया और मेरी समस्या का समाधान मिला जिसके लिए मैं टेली-लॉ सर्विस और न्याय विभाग का धन्यवाद करती हूँ।

